

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के सभी सदस्य

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (“कंपनी”) के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसकी हानि, और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में दी गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी सम्मिलित है, किंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उनके संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं की गई हैं, और हम उनके संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वस्त निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना और ऐसा करते हुए,

यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वस्तुतः स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से काफी अंसगत है अथवा हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी काफी गलत रूप में प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है परामर्श लिया गया अथवा अन्यथा वस्तुतः मिथ्या प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी वस्तुतः मिथ्या है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की सूचना दी जानी आवश्यक है। इस संबंध में सूचित किए जाने हेतु हमारे पास कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी

इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करने; ऐसे निर्णय लेना और आकलन करना जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जिन्हें वित्तीय विवरणों का सत्य और स्पष्ट तथ्य प्रकट करने वाले और वस्तुतः मिथ्या जानकारी, चाहे वे धोखे से अथवा त्रुटिवश, न हो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए

प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था को तैयार करने और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में बने रहने, प्रगतिशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के लिए प्रगतिशील संस्थान के आधार का उपयोग करने में इसकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन न रोकना चाहता हो अथवा ऐसा करने के सिवाय उनके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर

पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ-साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय-सीमा और महत्वपूर्ण

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान किया कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में, लागू सीमा तक, एक विवरण “अनुलग्नक-I” में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में, हम कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच, जिसे हमने उचित समझा और जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार थी, के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक -II पर संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

- ग) इस रिपोर्ट में संबोधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 की नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'क' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।
- छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है अतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कि क्या अधिक भुगतान किया गया है, कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- ज) कंपनियां (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए

जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।
- कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके संबंध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते सलूजा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 000148 एन

सी.ए. कमल सल्होत्रा

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 081472

स्थान : - नई दिल्ली

दिनांक: -

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1 प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के अलावा, कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (i) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 2 कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है; अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड(ii) लागू नहीं होता है।
- 3 कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।
- 4 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत यथाविनिर्दिष्ट, अपने निदेशक मंडल को और उनकी ओर से कोई ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है और बनाए गए ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की अनुपालना की गई है।
- 5 हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत आम जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है।

- 6 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत, कंपनी के किसी भी कार्यकलाप के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 7 (क). कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी समुचित प्राधिकरण की ओर से इस पर लागू अन्य किसी सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को नियमित तौर पर जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक शुल्क, उनके देय होने की तारीख से छः माह की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवादित सांविधिक शुल्क देय नहीं है।
- 8 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर-धारक से कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) लागू नहीं होता है।
- 9 कंपनी द्वारा अवधि के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋणों के जरिए कोई राशि एकत्रित नहीं की गई है अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।
- 10 संपादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में

उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है या न ही सूचित की गई है।

- 11 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 में विनिर्दष्टानुसार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान /उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xi) लागू नहीं होता है।
- 12 यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश के पैरा 3 का चूक संबंधी खंड (xii) लागू नहीं होता है।
- 13 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेन-देन व्यापार के सामान्य तरीके से निष्पक्ष आधार पर किया गया है और इसलिए, कंपनी पर अधिनियम की धारा 177 और 188 लागू नहीं होती है, तथापि, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, यथाअपेक्षित, वित्तीय विवरणों में ऐसे लेन-देन के ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।
- 14 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा संस्थागत बिक्री नहीं की गई है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 15 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा इसके साथ संबंधित किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी नकदरहित लेन-देन में हिस्सा नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16 कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000148 एन

सी.ए. कमल सल्होत्रा
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 081472

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

अनुलग्नक-II

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के

संबंध में उत्तर

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखा संबंधी लेन-देन को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की ईमानदारी संबंधी विवक्षाओं सहित वित्तीय विवक्षाएं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी, हां।
2.	क्या ऋण को चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनःसंरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

	का मामला तैयार किया गया है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त की गई/प्राप्ति योग्य निधियों को उनकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा- जोखा तैयार किया गया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का उल्लेख करे।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने योग्य कोई निधियां नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते सलूजा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 000148 एन

सी.ए. कमल सल्होत्रा

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 081472

स्थान : - नई दिल्ली

दिनांक: -

**कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का
अनुलग्नक-III**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदरभित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए हमारे द्वारा की गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशकमंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाअपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यापार का सुव्यवस्थित और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था, को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखा परीक्षा के संबंध में लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") और भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट समझे जाने वाले लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है। हमारे द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतियों, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह की त्रुटि के कारण हो, के जोखिम के आंकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं। .

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो सुसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निक्षेपण को शुद्ध और उचित रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथाआवश्यक लेखबद्ध किया गया है; और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और निक्षेप की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में सुसंगत आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

सांठगांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों के अधिरोहण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के

परिणामस्वरूप, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुतः मिथ्या तथ्य दिए जा सकते हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का परियोजन इस जोखिम के अध्यक्षीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा कि नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालना की स्थिति में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी भौतिक मामलों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे।

कृते सलूजा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 000148 एन

सी.ए. कमल सल्होत्रा

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 081472

स्थान :- नई दिल्ली

दिनांक :-

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के खातों की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000148 एन

सी.ए. कमल सलहोत्रा
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 081472

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(₹ सैकड़ों में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(1)	परिसम्पत्तियां				
(1)	गैर चालू परिसम्पत्तियां				
	(क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	6,37,036.58	5,68,365.65	5,00,421.11
	कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां		6,37,036.58	5,68,365.65	5,00,421.11
(2)	चालू परिसम्पत्तियां				
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) नकद एवं नकदी समान	5	132.44	88.93	58.80
	कुल चालू परिसम्पत्तियां		132.44	88.93	58.80

	कुल परिसम्पत्तियां		6,37,169.02	5,68,454.58	5,00,479.91
(II)	इक्विटी एवं देयताएं				
(1)	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	6	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	7	(208.02)	(208.02)	(208.02)
	कुल इक्विटी		4,791.98	4,791.98	4,791.98
(2)	देयताएं				
(क)	गैर चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) उधारियां	8	1,65,589.31	1,65,476.81	1,62,934.31
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	9	4,62,694.72	3,97,448.29	3,32,034.87
	कुल गैर चालू देयताएं		6,28,284.03	5,62,925.10	4,94,969.18
(ख)	चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	10	4,010.15	675.00	718.75

(ख) अन्य चालू देयताएं	11	82.86	62.50	-
कुल चालू देयताएं		4,093.01	737.50	718.75
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		6,37,169.02	5,68,454.58	5,00,479.91

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें

1-3
1-30

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

पी.सी.हेम्ब्रमआलोक सूदपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881

डी.आई.एन.:02394376

डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
सलूजा एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या: 000148 एन

सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(कमल सलहोत्रा)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 081472

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि
विवरण

विवरण	नोट संख्या	(₹ सैकड़ों में)	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनोंसे राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
कुल आय (I)		-	-
व्यय			
अन्यव्यय		-	-
कुलव्यय (II)		-	-
कर पूर्व लाभ (I- II =III)		-	-
कर संबंधी व्यय: (IV)			
चालूकर		-	-
आस्थगितकर		-	-
कर उपरांत निवल लाभ (III - IV = V)		-	-
अन्य विस्तृत आय (VI)		-	-
अवधिके लिए कुल विस्तृत आय (V + VI =VII)		-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII)			
बुनियादी और तनुकृत रूपये में (10 रूपये प्रत्येक का सममूल्य)	27	-	-

महत्वपूर्णलेखांकन नीतियां	1-3
वित्तीय विवरणोंसे संबद्ध नोट देखें	1-30

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

पी.सी.हेम्ब्रमआलोक सूदपी.के. सिंह

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02750881

डी.आई.एन.:02394376

डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

सलूजा एंडएसोसिएट्स

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरणसंख्या: 000148 एन

(कमल सल्होत्रा)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 081472

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल कर्नाटक पावरलिमिटेड
(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदीप्रवाह (कैश फ्लो)
विवरण

(₹ सैकड़ों में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	कर पूर्व निवल लाभ	-	-
	समायोजन	-	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन	-	-
	- वृद्धि/(कमी) गैर-चालू वित्तीय देयताएं	65,246.43	65,413.42
	- वृद्धि/(कमी) अन्यचालू वित्तीय देयताएं	3,335.15	(43.75)
	- वृद्धि/(कमी) अन्यचालू देयताएं	20.36	62.50
	भुगतान किए गए कर	-	-
	प्रचालन गतिविधियों से अर्जित नकद	68,601.94	65,432.17
	भुगतान किया गया आयकर	-	-
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	68,601.94	65,432.17
ख.	निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में परिवर्तन	(68,670.93)	(67,944.54)

ग.	निवेशी गतिविधियों से निवल नकद	(68,670.93)	(67,944.54)
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	- उधारियों में वृद्धि/(कमी)	112.50	2,542.50
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	112.50	2,542.50
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	43.51	30.13
	अथशेष नकदी एवं नकदी समतुल्य	88.93	58.80
	अंतशेष नकदी एवं नकदी समतुल्य	132.44	88.93
को शामिल करते हुए :			
बैंकों में राशि			
चालू खातों में	132.44	88.93	

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

पी.सी.हेम्ब्रमआलोक सूदपी.के. सिंह

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02750881

डी.आई.एन.:02394376

डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

सलूजा एंड एसोसिएट्स

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या: 000148 एन

(कमल सल्होत्रा)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 081472

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयरपूंजी

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2017 तक को शेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को शेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	राशि
<u>प्रतिधारित आय</u>	
01 अप्रैल, 2017 तक को शेष	(208.02)
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-2018) के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2018 को शेष	(208.02)
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-2019) के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2019 को शेष	(208.02)

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए	
पी.सी.हेम्ब्रमआलोक सूदपी.के. सिंह	
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष	
डी.आई.एन.:02750881	डी.आई.एन.:02394376 डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
सलूजा एंडएसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरणसंख्या: 000148 एन

(कमल सल्होत्रा)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 081472

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	
सी.आई.एन.:यू40102डीएल2006जीओआई146953	
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी नोट	
1	निगमितजानकारी
	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनीअधिनियम, 1956 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकारका एक उपक्रम, की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में दिनांक 10 फरवरी, 2006 में निगमित किया गया था। कार्य की शुरूआत करने संबंधी प्रमाणपत्र दिनांक 23 नवंबर, 2006 को जारी किया गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। यह कंपनी एकविशिष्ट कार्य संस्था है जिसका निगमन कर्नाटक राज्य में 4000 मेगावाट की अतिविस्तृत (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि की अनुमति सहित कानूनी अनुमति से संबंधित मुख्य कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।
2	सामान्य
(क)	निर्मिति का आधार और अनुपालना का विवरण
	इन वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत और लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड ए.एस." के रूप में संदर्भित) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। ये कंपनीके प्रथम इंड ए.एस. वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2017 तक है।
	कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण पूर्व में लागू जी.ए.ए.पी. की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए थे, जिनमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (ए.एस.) शामिल थे।
	वित्तीय विवरणों में विगत अवधि के आंकड़ों को उन्हीं लेखांकन मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिन्हें कंपनी के पहले इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किया गया है।
	कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये (आई.एन.आर.) में प्रस्तुत किया गया है जो कि इसकी कार्यकरण की मुद्रा है।
	कंपनी द्वारा पहली बार अपनाए जाने के संबंध में ली गई छूटों के ब्यौरों को नोट संख्या 27 पर प्रस्तुत किया गया है।
	इन वित्तीय विवरणों में राशि को दो दशमलव बिंदुओं के निकटतम सौ (जब तक कि दर्शाया न जाए) तक समायोजित किया गया है।
(ख)	अनुमानों का उपयोग

	वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाना और पूर्वधारणा अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार राजस्व, व्यय की संसूचित राशि, परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित पूर्वधारणा की पुनरीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन का निर्धारण उस अवधि में किया जाता है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया गया हो और जिनसे कोई भावी अवधि प्रभावित होती हो।
3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
(क)	आय/व्यय की मान्यता
	आय और व्यय (नीचे दिए गए के अलावा) का लेखा-जोखा प्रोद्भव आधार पर किया जाता है।
	अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना को तैयार करने में पी.एफ.सी./पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय परामर्शी एवं पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सफल बोली लगाने वाले को कंपनी के हस्तांतरण के वर्ष में किया जाता है।
(ख)	ऋण लागत
	ऋण लागत जो कि अचल परिसम्पत्तियों, जिन्हें उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए काफी समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माण से संबंधित हैं, को ऐसी अचल परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रूप में ऐसी परिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए तैयार किए जाने की अवधि से संबंधित सीमा तक पूंजी में परिणत किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस वर्ष, जिसमें उन्हें वहन किया गया है, के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।
(ग)	प्रगति पर पूंजीगत कार्य
	भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/मूल्यहास/ब्याज आदि के संबंध में वहन किए गए व्यय और निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्ययों को पूंजी में परिणत किया जाता है और उन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य माना जाता है।
(घ)	पूर्वावधि व्यय
	पूर्वावधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों में पूर्वव्यापी तरीके से पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई, में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक राशि का पुनः उल्लेख करते हुए सुधार किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि से पहले हुई हो, तो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं के अथशेष और इक्विटी का पुनः उल्लेख किया जाता है।
(ङ)	नकदी एवं नकदी समतुल्य
	नकदी के तहत हस्तगत नकद, डिमांड डिपोजिट शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूलपरिपक्वता अवधि अधिग्रहण से तीन माह या कम है) उच्चतर नकदी निवेश, जो नकदी की नियत राशि में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जिनमें मूल्य परिवर्तन संबंधी मामूली जोखिम हो, को नकदी समतुल्य समझती है।
(च)	नकदी प्रवाह विवरण

	नकदी प्रवाह विवरणऐसी अप्रत्यक्ष रीति के अनुसार तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवललाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के किसी लेन-देन और विगत अथवा भावी नकद प्राप्तिअथवा भुगतान के स्थगन अथवा संग्रहण के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।कंपनी की प्रचालन, निवेशी और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।
(छ)	कराधान
	आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसका निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में, जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित हो जिसे ओ.सी.आई. अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, जिसके मामले में भी, कर को ओ.सी.आई. अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में निर्धारित किया जाता है, में निर्धारित किया गया है को छोड़कर, किया जाता है।
	चालू कर वह कर है जिसे उस तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित और लागू कर दर का उपयोग तथा विगत वर्ष के संबंध में देय करों का समायोजन करते हुए वर्ष के लिए कराधीन आय के संबंध में भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
	आस्थगित कर का निर्धारण वित्तीय विवरणों में परिसम्पत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कराधीन आय की गणना में उपयोग किए गए संगत कर के आधारों के बीच अस्थायी अंतर के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर की गणना कानूनों के आधार पर कर दर पर की जाती है जिसे रिपोर्टिंग की तारीख को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित किया गया हो। यदि चालू कर परिसम्पत्तियों और देयताओं को समायोजित करने का विधिक रूप से प्रवर्तित अधिकार हो तो आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं को समायोजित किया जाता है।
	कोई आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिसमें यह संभाव्य हो कि करयोग्य लाभ उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जहां तक कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर देयताओं की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है इन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि संबंधित कर लाभों को अर्जित किया जाएगा।
	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वहन राशि की पुनरीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि वसूली की जाने वाली परिसम्पत्तियों के सभी भागों को नियत करने हेतु पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध होंगे।
(ज)	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां
i.	प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा निर्माण संबंधी) हो, यदि यह संभाव्य हो कि कंपनी द्वारा दायित्व का निपटान अपेक्षित होगा और एक दायित्व की राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्वों के जोखिमों और प्रतिवेशी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफलका बेहतरीन अनुमान है। जब कुछेक अथवा सभी आर्थिक लाभों से निपटान अपेक्षित हो, प्रावधान को तृतीय पक्ष से वसूल किया जाना आशयित हो तो किसी प्राप्य के एक परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वस्तुतः यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति की जाएगी और प्राप्य की राशि का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।
ii.	जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता, दायित्व को आकस्मिक देयताओं के रूप में लेखा की टिप्पणियों में प्रकट किया

	जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना कम न हो।
iii.	आकस्मिकपरिसंपत्तियों के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें उस स्थिति में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
iv.	प्रत्येक तुलन पत्रकी तारीख को इनकी पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शानेके लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।
(झ)	वित्तीय लिखत
	वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब कंपनीवित्तीय लिखत के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है। आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देयताओं को उचितमूल्य जमा/घटा लेन-देन की लागत, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओंके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित है, को मान्यता दी जाती है। वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचितमूल्य पर निर्धारित किया जाता है, के मामले में, इनकी लेन-देन लागत को लाभ एवंहानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।
झ. 1	वित्तीयपरिसम्पत्तियां
	वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी नियमित रीति की खरीदऔर बिक्री का निर्धारण और गैर-निर्धारण निपटान तारीख के आधार पर किया जाताहै।
	आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियों को या तो परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य परउनकी समग्रता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर मूल्यांकितकिया जाता है।
i)	वित्तीयपरिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन (इक्विटी लिखत को छोड़कर)
	क)परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियोंको प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर.) काउपयोग करते हुए, तदोपरांत परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है: <ul style="list-style-type: none"> परिसम्पत्ति का धारण किसी ऐसे व्यापार मॉडल में किया जाता हो जिसका उद्देश्यसंविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों को धारित करनाहो; और परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) है, का सृजन करती हैं
	ख) अन्य विस्तृत आयके माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर किया जाता है यदिनिम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों: <ul style="list-style-type: none"> व्यापार मॉडल के उद्देश्य की प्राप्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहणऔर वित्तीय परिसम्पत्तियों के

	<p>विक्रय दोनों से होती है; और</p> <ul style="list-style-type: none"> परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) हैं, में वृद्धि करतीहो.
	<p>ग) लाभ अथवा हानि केमाध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.पी.एल. पर किया जाता है जब तककि इसे लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथपरिशोधित लागत अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है।</p>
ii)	<p>वित्तीयपरिसम्पत्तियों का विकृत होना</p> <p>क) आरम्भिक मान्यता होने पर, कंपनी परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीयपरिसम्पत्तियों के संबंध में आशयित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल.) को मान्यता देती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों, ऋण परिसम्पत्तियों को छोड़कर, के संबंध मेंई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन आशयित हानि के बराबर राशि पर किया जाता है। इस बात को छोड़कर कि ई.सी.एल. को अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती हैऔर तुलनपत्र की वहन राशि में से घटाया नहीं गया है, ई.सी.एल. के निर्धारण औरमूल्यांकन के लिए विकृत अपेक्षाओं को समान रूप से एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर ऋणपरिसम्पत्तियों के संबंध में लागू किया जाता है।</p>
	<p>ख) ऋण परिसम्पत्तियोंका विकृत होना तथा आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) के तहत प्रतिबद्धताएं: कंपनी ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में ई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन ई.सी.एल.के बराबर राशि पर करती है यदि आरम्भिक मान्यता के बाद से, कोई क्रेडिट विकृतिहो अथवा क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एस.आई.सी.आर.) हुई हो। यदिआरम्भिक निर्धारण की तुलना में कोई एस.आई.सी.आर. नहीं है, तो कंपनी ई.सी.एल. का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. के बराबर राशि पर करती है। जब आरम्भिक निर्धारण केबाद से किसी एस.आई.सी.आर. की संभावना के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, कंपनीऐसी संगत और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो बिना किसी अनुचित लागत अथवाप्रयास के उपलब्ध हो। यदि कंपनी ने विगत अवधि में हानि भत्ते को आजीवन ई.सी.एल.के रूप में मूल्यांकित किया था, किंतु अनुवर्ती अवधि में यह निर्धारित करती हैकि क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण आरम्भिक निर्धारण में कोई एस.आई.सी.आर.नहीं है, तो कंपनी द्वारा पुनः हानि भत्ते का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. आधारपर किया जाता है। क्रेडिट विकृत ऋण परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन व्यक्तिगत आधारपर किया जाता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए इसका मूल्यांकन सामान्यतः एकसमान समूहों को उपयोग करते हुए संग्रहण आधार पर किया जाता है।</p>
	<p>ग) विकृत हानियों औरवापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।</p>
iii)	<p>वित्तीयपरिसम्पत्तियों का अमान्यता</p> <p>कंपनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का अमान्यता तब करती है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब यह वित्तीय परिसम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के सभी वास्तविक जोखिमों और प्रतिफलों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।</p> <p>किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का उसकी समग्रता में अनिर्धारण, परिसम्पत्ति की वहन राशि और प्राप्त तथा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर और समग्र लाभ अथवा हानि जिसे अन्य विस्तृत आय में निर्धारित किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था का निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है यदि ऐसे लाभ अथवा हानि को अन्यथा- उस वित्तीय परिसम्पत्ति के निष्पादान के संबंध में लाभ एवं हानि</p>

	विवरण में निर्धारण किया गया हो।
झ. 2	वित्तीय देयताएं
	i) डेरिवेटिव्स और वित्तीय गारंटी संविदाओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर.) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ई.आई.आर. का निर्धारण वित्तीय देयताओं के आरम्भिक मान्यता के समय किया जाता है। तदुपरांत, ई.आई.आर. को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार, संबंधित रीसेटतारीख को अस्थिर ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाता है।
	ii) वित्तीय देयताओं का गैर-मान्यता: कंपनी वित्तीय देयताओं को गैर-मान्यता केवल तब करती है जब कंपनी केदायित्वों का निष्पादन हो गया हो, रद्द हो गये हों अथवा समाप्त हो गए हों। वित्तीय देयताओं की वहन राशि और प्रदत्त और प्रदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित किया जाता है।
(ञ)	प्रति शेयर आय
	प्रति शेयर मूल आय की गणना, करके उपरांत निवल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना कर उपरांतलाभ को प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या और उनक इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिन्हें सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किया गया, से भाग देते हुए की जाती है।

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146

109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी नोट

4. प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
प्रगति पर पूंजीगत कार्य संबंधी अथशेष जोड़ें: निर्माण अवधि के दौरान व्यय से अंतरित (नोट 12)	5,68,365.65	5,00,421.11	5,00,421.11
	68,670.93	67,944.54	-
	6,37,036.58	5,68,365.65	5,00,421.11

5. नकदी एवं नकदीसमतुल्य

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
बैंकों में अधिशेष			
चालू खातों में	132.44	88.93	58.80
	132.44	88.93	58.80

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी
नोट

6. इक्विटी शेयरपूंजी

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी			
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
निर्गत, सब्सक्राइब और संदत्त पूंजी में शामिल:			
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(i) वर्ष के आरम्भ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का
समामेलन:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयरसे संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर सम मूल्य के इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट देने का पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। सम्पत्ति के मामले में, इक्विटी शेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसम्पत्तियों को उनके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार हैं।

(iii) धारक कंपनी द्वारा धारिक इक्विटी शेयरों का विवरण:

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
-------	------------------	------

31 मार्च, 2019 तक कीस्थिति के अनुसार पावरफाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 तक कीस्थिति के अनुसार पावरफाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
1 अप्रैल, 2017 तक कीस्थिति के अनुसार पावरफाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येकशेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक कीस्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों कीसंख्या	%	धारितशेयरों की संख्या	%	धारितशेयरों की संख्या	%
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर पावरफाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और इसकेनामित्तियों के माध्यम से धारित हैं
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी
नोट

7. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>प्रतिधारित आय</u>			
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष	(208.02)	(208.02)	(208.02)
वर्ष के अंत में अधिशेष	(208.02)	(208.02)	(208.02)

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण
संबंधीनोट

8. ऋण (गैर-वर्तमान)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, परिशोधित लागत पर संबंधित पक्षों से ऋण	1,65,589.31	1,65,476.81	1,62,934.31
	1,65,589.31	1,65,476.81	1,62,934.31

9. अन्य वित्तीयदेयताएं (गैर-चालू)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर प्रोदभूत परंतु अदेयब्याज	4,62,694.72	3,97,448.29	3,32,034.87
	4,62,694.72	3,97,448.29	3,32,034.87

10. अन्य वित्तीयदेयताएं (चालू)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर			
भुगतेय व्यय	675.00	675.00	718.75
पी.एफ.सी.सी.एल.को भुगतेय (ब्याज सहित)	3,335.15	-	-
	4,010.15	675.00	718.75

11. अन्य वर्तमानदेयताएं

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य:			
सांविधिक देय	82.86	62.50	-
	82.86	62.50	-

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधीनोट

12. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शप्रभार एवं पेशेवर शुल्क	1,369.73	1,187.55
विधिकएवं पेशेवर शुल्क	477.32	106.30
व्यय		
ब्याज	1,369.73	1,187.55
पी.एफ.सी.सी.एल. लिमिटेड	203.6	
पी.एफ.सी. लिमिटेड	65246.4	65,413.42
बैंकप्रभार	6.49	29.87
कार्यालयखरखाव लेखापरीक्षकको भुगतान: लेखापरीक्षक के रूप में	68.99	106.33
अन्यप्रशासनिक व्यय	737.50	737.50
	560.87	363.57
कुल व्यय (सी.डब्ल्यू.आई.पी. को अंतरित)	68,670.93	67,944.54

कोस्टल कर्नाटक पावरलिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146

109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी नोट

13. वित्तीय लिखत

(1) पूंजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि यह अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। कंपनी की पूंजी संरचना में इसकी धारक कंपनी के इक्विटी और ऋण शामिल हैं। कंपनी बाह्य रूप से अधिरोपित किन्हीं पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है। कंपनी का बोर्ड कंपनी की पूंजी संरचना की पुनरीक्षा आवश्यकता के आधार पर करता है। कंपनी ने अपनी धारक कंपनी से ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार इसका अधिशेष 1,65,589.31/- (सैकड़ों में) और 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी 5,000.00 (सैकड़ों में) है।

(i) वित्तीय लिखत की श्रेणियां

	₹ सैकड़ों में
विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार
वित्तीय परिसम्पत्तियां:	
परिशोधित लागत पर मूल्यांकित	
(क) नकदी एवं बैंक अधिशेष	132.44
वित्तीय देयताएं:	
परिशोधित लागत पर मूल्यांकित	
(क) ऋण	1,65,589.31
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	4,66,704.87

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कंपनी की वित्तीयदेयताओं में उधारियां और अन्य भुगतान शामिल हैं। कंपनी की वित्तीयपरिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से नकदी और नकदी समतुल्य शामिल हैं। कंपनी बाजारजोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और अन्य कीमत संबंधी जोखिमः, क्रेडिट जोखिम औरसम्पत्ति जोखिम के प्रति संवेदनशील है। कंपनी का प्रबंधन जोखिमों के मात्रा और आकार के अनुसार संवेदनशीलता काविश्लेषण करते हुए, कंपनी के प्रचालनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानीऔर प्रबंध करता है। चूंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में होते हैं अतः मुद्राजोखिम कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिमहै कि वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार कीमतों मेंपरिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिलहोते हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत संबंधी जोखिम। कंपनीअंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति संवेदनशील नहीं है चूंकि कंपनी के प्रचालन केवलभारत में हैं। वित्तीय लिखत ऋण सहित ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होती है।कंपनी अन्य कीमत संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

बाजार जोखिमसंवेदनशीलता का मूल्यांकन संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाताहै।

बाजार जोखिमों केप्रति कंपनी की संवेदनशीलता अथवा उस रीति, जिसके माध्यम से इन जोखिमों काप्रबंधन और मूल्यांकन किया जा रहा है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iv) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिमके प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह समय-समय पर यथानिर्धारित राज्य क्षेत्रउधारकर्ताओं (श्रेणी क) की श्रेणी के तहत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (मूलधारक कंपनी) द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर पर निधियां उधार लेती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्याज दर के प्रतिकंपनी की संवेदनशीलता का विवरण इस नोट के सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन खंड में दियागया है।

(v) ब्याज दर

संवेदनशीलताविश्लेषण

नीचे दिये गये संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में ब्याज दरों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। अस्थिर दर की देयताओं के लिए, विश्लेषण, वित्त वर्ष के अंत में बकाया देयताओं की राशि को मानते हुए तैयार किया गया है जोकि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बकाया थीं। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को आंतरिक रूप से ब्याज दर जोखिम की सूचना देने और ब्याज दरों में सुसंगत संभाव्य परिवर्तनों का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए एक 50 बेसिस प्वाइंट वृद्धि अथवा कमी का उपयोग किया गया है।

ब्याज में 50 बेसिस प्वाइंट के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और सभी अन्य परिवर्ती कारकों को स्थिर रखा गया था जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ अथवा (हानि) के लिए प्रभाव	-	-
अन्य विस्तृत आय के लिए प्रभाव	-	-

(vi) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जब प्रतिपक्ष द्वारा उसके संविदात्मक दायित्वों में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो। क्रेडिट जोखिम के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता मुख्य रूप से सफल बोली लगाने वाले से प्राप्य से होती है। किसी प्रख्यात और विश्वसनीय बैंकिंग स्थान के साथ कंपनी का बैंक अधिशेष होने के परिणामस्वरूप प्रतिपक्षों से क्रेडिट जोखिम सीमित हो जाता है।

(vii) सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन

कंपनी, पर्याप्त आरक्षिती के रखरखाव और अनुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाईल का मिलान करते हुए सम्पत्ति जोखिम का प्रबंधन करती है।

सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
ऋण	6,28,284.03	-	-	-	6,28,284.03	6,28,284.03
अन्य वित्तीय देयताएं	4,010.15	4,010.15	-	-		4,010.15

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
ऋण	5,62,925.10	-	-	-	5,62,925.10	5,62,925.10
अन्य वित्तीय देयताएं	675.00	675.00	-	-	-	675.00

01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
ऋण	4,94,969.18	-	-	-	4,94,969.18	4,94,969.18
अन्य वित्तीय देयताएं	718.75	718.75	-	-	-	718.75

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में उपलब्ध कराए गए हैं:

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में उपलब्ध कराए गए हैं:

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत
-------	----------	--------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------

	देय				मूल्य प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में उपलब्ध कराए गए हैं:

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-

सलूजा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(ix) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य

विवरण	उचित मूल्य अनुक्रम	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी एवं नकदी समतुल्य	स्तर 2	132.44	132.44	88.93	88.93	58.80	58.80
ऋण	स्तर 2	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां वित्तीय देयताएं	स्तर 2	-	-	-	-	-	-
ऋण	स्तर 2	1,65,589.3	1,65,589.31	1,65,476.81	1,65,476.81	1,62,934.31	1,62,934.31
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	4,66,704.8	4,66,704.87	3,98,123.29	3,98,123.29	3,32,753.62	3,32,753.62

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त वहन राशि के सन्निकट है। वर्ष में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ था। इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के सुसंगत सन्निकट है चूंकि कंपनी यह प्रत्याशा नहीं करती है कि वहन मूल्य अंततः प्राप्त और निपटाए गए मूल्य से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होंगे।

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी नोट

14. संबंधित पक्षों से लेन-देन का विवरण

14.1. संबंधित पक्षों का नाम एवं संबंधों का विवरण :

धारक कंपनी:

पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड

धारक कंपनी की सहायक संस्थाएं:

पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड

क्रम सं.	संबंधित पक्षों का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
4	तटीय महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
5	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
6	तटीय तमिलनाडु पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
7	घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
8	तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
9	सखीगोपाल पावर इंटीग्रेटेड कंपनी लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
10	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
11	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था

12	ओडिशा इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
13	देवगढ़ इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
14	बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
15	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
16	झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शांगतोंग कर्चम – वांगतू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बिजावाड-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
24	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
25	बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
26	भुज- II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
27	लकड़िया-वडोदरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर तैनात किए गए हैं।

क्रं स.	नाम	पदनाम
1	श्री डी. रवि	अध्यक्ष
2	श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष
3	श्री आलोक सूद	निदेशक
4	श्री हरि के. दास	निदेशक
5	श्री पी. सी. हेम्ब्रम	निदेशक

14.2. लेन-देन का विवरण:

14.2.1. संबंधित पक्षों से लेन-देन:

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
-		
प्राप्त किए गए ऋण (पी.एफ.सी.)	1,65,589.31	1,65,476.81
पी.एफ.सी.सी.एल. को भुगतेय	3,151.91	-
-		

14.2.2. संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष:

विवरण	31 मार्च, 2019 तककी स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
प्राप्त किए गए/भुगतेय ऋणों पर भुगतेय/प्रोदभूत ब्याज परंतु उधारियों पर देय नहीं	4,62,877.96	3,97,448.29	3,32,034.87

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारितोषिक:

कंपनी के कर्माचारी, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए समझौते के अनुसार संविदात्मक शर्तों के आधार पर है। निदेशकों को किसी भी बैठक शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(सी.आई.एन:यू40102डीएल2006जीओआई146109)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी

नोट

15. विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में परियोजना पूरी हो जाने पर संबंधित खरीदार और बोली लगाने वाले के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से विद्युत के विनिर्दिष्ट कोटे के आवंटन के लिए उनके अंशदान के रूप में कंपनी के 40,00,000.00/- (सैकड़ों में) रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है तथापि अभी खरीदारों से प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है।

16. परियोजना स्थापित करने की स्कीम के अनुसार, परियोजना का पता लगाने और आरंभिक कार्य के लिए पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाना है, जिसमें लगाई गई निधियों पर ब्याज शामिल है 50,00,000.00/- (सैकड़ों में) का व्यवसायिक शुल्क तथा लागू कर परियोजना के बोली दाता से वसूल किया जाएगा जो कंपनी द्वारा अपनी धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) से 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग की खरीद के लिए अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में होगा जिसके बाद अपनी पूरी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ किए जाने वाले शेयर खरीद करार के अनुसार ऐसी बोली लगाने वालों को अंतरित हो जाएगी।

17. कंपनी, पीएफसी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली सलाह और की गई व्यवसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में पीएफसी लिमिटेड को 50,00,000.00/- (सैकड़ों में) की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। सलाह और व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए शुल्क पीएफसी लिमिटेड को उसी स्थिति में भुगतान किया जाना है जब परियोजना के लिए सफल बोली दाता का चयन कर लिया जाएगा और कंपनी सफल बोली दाता को अंतरित कर दी जाएगी, इसलिए पीएफसी लिमिटेड को भुगतान शुल्क के लिए किसी प्रकार की देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का अंतरण होने पर इसे सफल बोली दाता को कंपनी का अंतरण किए जाने के वर्ष में वसूल लिया जाएगा।

18. परियोजना के विकास पर हुआ खर्च पीएफसी लिमिटेड/पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा वहन किया गया था कंपनी, कंपनी की ओर से किए गए खर्च पर पीएफसी लिमिटेड/पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को ब्याज का भुगतान करती है इस प्रकार भुगतान किये जाने वाले ब्याज को चल रहे पूंजी कार्य में पंजीकृत किया जाता है। निधियों की प्रयुक्त राशि पर प्रभावित भुगतान किया गया ब्याज समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार श्रेणी में राज्य सेक्टर लेनदार श्रेणी 'क' के तहत लेनदारों के लिए परियोजना ऋण/स्कीमों के लिए पीएफसी में लागू है, 65,450.03/- (सैकड़ों में) की ब्याज की कुल राशि (गत वर्ष 65,413.42/- (सैकड़ों में) को लेखा बहियों में चढ़ा दिया गया है। ब्याज को चल रहे पूंजी कार्य में पूंजीगत कर दिया गया है पीएफसी द्वारा भुगतेयब्याज को गैर चालू देयता और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड भुगतेय ब्याज में गैर चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

19. व्यय, मुख्य रूप से पी.एफ.सी.एल./पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा एसपीवी को आवंटित किए जाते हैं एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर आवंटित किए जाते हैं और विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं की साझेदारी के आधार पर सामान्य व्यय का आवंटन किया जाता है पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल समर्थनकारी बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास होती हैं पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन व्ययों पर लागू स्रोत पर कटौती और जीएसटी से जुड़े सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।

20. कर्मचारी लाभ योजना

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है , अतः इंड ए.एस.-19 के अनुसार दायित्व लागू नहीं होते हैं।

21. प्रतिबद्धताएं:

विवरण	31 मार्च, 2019 तककी स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल):	-	-	-
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं			

	-	-	-
--	---	---	---

22. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
कंपनी की आकस्मिक देयताएं और कंपनी के विरुद्ध दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जैसा की अवधि के लिए प्रबंधन ने प्रमाणित किया है। इसके अलावा, कंपनी को कोई आकस्मिक परिसम्पत्तियां और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है।	-	-	-

23. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम") के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूल राशि और उन पर देय ब्याज का शेष	-	-	-
(ख) लेखांकन अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकरता को भुगतान की गई राशि सहित एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि	-	-	-

(ग) भुगतान में की गई देरी की अवधि के लिए देय और भुगतेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद किया गया) किंतु एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-
(ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से, अनुवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक जिसे उपरोक्त देय ब्याज को लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान कर दिया गया, देय और भुगतेय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-	-

24. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षा	737.50	737.50
कुल	737.50	737.50

25. खंडीय जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल जिसे प्रचालन संबंधी प्रमुख नीति नियंता (सी ओ डी एस) माना जाता है कंपनी के निष्पादन का आकलन करता है और कंपनी के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में यह विद्युत संयंत्र स्थापित करने में संलग्न है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती हैं इसके अतिरिक्त कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं इसलिए इंड एस 108 “प्रचालन खंड” के अनुसार कंपनी द्वारा अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई खंड नहीं है

26. अन्य प्रकटन:

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय- शून्य

(ख) विदेशी विनिमय में आय – शून्य

27. इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख को, कंपनी ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार लागत समझे जाने वाले पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसार सी.डब्ल्यू.आई.पी. के वहन मूल्य पर विचार किया है।

28. कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू जी ए पी पी के अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 'ए एस' शामिल है। वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उपयोग कंपनी के प्रथम इंड ए.एस. विवरणों को तैयार करने के लिए किया जाता है।

29. प्रथम बार इंड ए.एस. को अपनाए जाने का समामेलन:-

29.11 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र पर इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव:-

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017			31 मार्च, 2018		
	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
परिसम्पत्तियां गैर-चालू परिसम्पत्तियां						
(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5,00,421.11	-	5,00,421.11	5,68,365.65	-	5,68,365.65

चालू परिसम्पत्तियां						
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	58.80	-	58.80	88.93	-	88.93
कुल परिसम्पत्तियां	5,00,479.91	-	5,00,479.91	5,68,454.58	-	5,68,454.58
इक्विटी एवं देयताएं						
इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	(208.02)	-	(208.02)	(208.02)	-	(208.02)
	4,791.98	-	4,791.98	4,791.98	-	4,791.98
गैर-चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	1,62,934.31	-	1,62,934.31	1,65,476.81	-	1,65,476.81
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,32,034.87	-	3,32,034.87	3,97,448.29	-	3,97,448.29

	4,94,969.18	-	4,94,969.18	5,62,925.10	-	5,62,925.10
देयताएं						
चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	718.75	-	718.75	675.00	-	675.00
(ख) अन्य चालू देयताएं	-	-	-	62.50	-	62.50
	718.75	-	718.75	737.50	-	737.50
कुल इक्विटी एवं देयताएं	5,00,479.91	-	5,00,479.91	5,68,454.58	-	5,68,454.58

29.231 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

विवरण	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड-ए.एस.
प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
कुल राजस्व (I)			

	-	-	-
व्यय			
अन्य व्यय	-	-	-
कुल व्यय ((II))	-	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)	-	-	-
कर संबंधी व्यय:			
(1) चालू कर	-	-	-
(2) आस्थगित कर	-	-	-
कुल कर संबंधी व्यय	-	-	-
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-

29.31 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी पर इंड ए.एस.
अपनाए जाने के प्रभाव: -

विवरण	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति
--------------	---	--

	अनुसार	के अनुसार
आई.जी.ए.पी. के तहत यथासं सूचित अन्य इक्विटी	(208.02)	(208.02)
इंड-ए.एस. समायोजन:		
पूर्वावधि समायोजन	-	-
इक्विटी पर कुल प्रभाव	-	-
इंड ए.एस. के तहत यथासं सूचित अन्य इक्विटी	(208.02)	(208.02)

29.431 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	पूर्ववर्ती जी.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	65,432.17	-	65,432.17
निवेशी गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद	(67,944.54)	-	(67,944.54)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह			

	2,542.50	-	2,542.50
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	30.13	-	30.13
जोड़े: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	58.80	-	58.80
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	88.93	-	88.93

30. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

पी.सी.हेम्ब्रमआलोक सूद

पी. के. सिंह

निदेशकनिदेशक

अध्यक्ष

डी.आई.एन.:02750881

डी.आई.एन.:02394376

डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

सलूजा एंडएसोसिएट्स

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरणसंख्या: 000148 एन

(कमल सलहोत्रा)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 081472

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :